न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 62/2022

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
लिक्ष्मणराम	बनाम	सरकार

किस्म मुकदमा–राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/8/2022	पत्रावली आज प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न साक्ष्य आधार कार्ड व बयान सहखातेदारो के आधार पर लिछुराम व लिछमणराम एक ही व्यक्ति होना बताया गया। जिसकी जाँच रिपोर्ट तहसीलदार लूणी से मंगवाई गई। तहसीलदार लूणी से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नन्दवान व हिराखेडा की जमाबन्दी सवत 2076–2079 के खाता सख्या 301, मे दर्ज लिक्षमणराम के स्थान पर लिक्ष्मणराम व खाता सख्या 137 मे दर्ज लिछुराम के स्थान पर लिक्ष्मणराम किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी द्वारा भी अनुशंषा की गई की लिछुराम व लिक्ष्मणराम एक की व्यक्ति होना बताया गया। अतः– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम नन्दवान के खाता नम्बर 301 मे प्रार्थी का नाम लिक्षमणराम पुत्र बस्तीराम के स्थान पर लिक्ष्मणराम पुत्र बस्तीराम व हिराखेडा के खाता सख्या 137 मे लिछुराम के स्थान पर लिक्ष्मणराम पुत्र बस्तीराम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। माफिक उपरोक्त आदेश की तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। (sd) 13/8/22 (जे.डी थानवी) राष्ट्रीय लोक अदालत के अध्यक्ष बैच नम्बर 20 (sd) 13/8 (गोपाल परिहार) उपखण्ड अधिकारी लूणी राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य	–

Scanned by CamScanner